संख्या-486/2023/2467/22-2-2023-17(244)/2020टी0सी0

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 08 अगस्त, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जमुना कंजा उर्फ जमुना प्रसाद कौशिक पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा, निवासी जनपद-मथुरा की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक(मु0) के पत्र संख्या-19923/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-07.06.2023) दिनांक-16.06.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जमुना कंजा उर्फ जमुना प्रसाद कौशिक पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा, नि0-मौहल्ला महल वदन सिंह, थाना-गोवर्धन, जनपद-मथुरा का निवासी है। दिनांक 28.04.2002 को वादी पवन कुमार की दुकान पर जाकर बंदी द्वारा शराब के लिये 500/-रू0 मांगने व चौथ देने से मना करने पर बंदी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चे से गोली मारकर वादी के भाई गोविन्द प्रसाद की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-617/2002, भा0द0वि0 की धारा-302, 384, 323/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-04, मथुरा के आदेश दिनांक 09.05.2003 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, द्वारा दिनांक 30.09.2021 तक 19 वर्ष, 02 माह, 06 दिन की अपरिहार सजा तथा 24 वर्ष, 05 माह की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी मथुरा द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, भविष्य में पुनः अपराध की सम्भावना होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट अपनी आख्या में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी की उक्त आख्या से सहमत होते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक-28.04.2002 को वादी पवन कुमार की दुकान पर जाकर बंदी द्वारा शराब के लिये 500/-रू0 मांगने व चौथ देने से मना करने पर बंदी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चे से गोली मारकर गोविन्द प्रसाद की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी जमुना कंजा उर्फ जमुना प्रसाद कौशिक पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जमुना कंजा उर्फ जमुना प्रसाद कौशिक (बन्दी संख्या-13199) पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा, निवासी जनपद-मथुरा के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-486/2023/2467(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार गाजियाबाद को रिट याचिका संख्या-336/2019 रसीदुल जफर उर्फ छोटा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य एवं सहबद्ध रिट याचिका (क्रि0) सं0-369/2021 रामजी दुबे व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय में पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 के सन्दर्भ में।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-486/2023/2467/22-2-2023-17(244)/2020टी0सी

दिनांक 08 अगस्त, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जमुना कंजा उर्फ जमुना प्रसाद कौशिक पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा, नि0-मौहल्ला महल वदन सिंह, थाना-गोवर्धन, जनपद-मथुरा का निवासी है। दिनांक 28.04.2002 को वादी पवन कुमार की दुकान पर जाकर बंदी द्वारा शराब के लिये 500/-रू0 मांगने व चौथ देने से मना करने पर बंदी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चे से गोली मारकर वादी के भाई गोविन्द प्रसाद की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-617/2002, भा0द0वि0 की धारा-302, 384, 323/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-04, मथुरा के आदेश दिनांक 09.05.2003 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, द्वारा दिनांक 30.09.2021 तक 19 वर्ष, 02 माह, 06 दिन की अपरिहार सजा तथा 24 वर्ष, 05 माह की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी मथुरा द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, भविष्य में पुनः अपराध की सम्भावना होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट अपनी आख्या में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी की उक्त आख्या से सहमत होते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक-28.04.2002 को वादी पवन कुमार की दुकान पर जाकर बंदी द्वारा शराब के लिये 500/-रू0 मांगने व चौथ देने से मना करने पर बंदी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चे से गोली मारकर गोविन्द प्रसाद की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी जमुना कंजा उर्फ जमुना प्रसाद कौशिक पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।